


राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:-स्वाधीनता दिवस समारोह-2017 के अवसर पर योग्यता प्रमाण-पत्र
प्रदान किये जाने बाबत।

(अवधि दिनांक 28.7.17 तक बढ़ाये जाय)

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल सचिवालय की समसंख्यक अशा0 टीप दिनांक 15.06.2017 द्वारा स्वाधीनता दिवस समारोह-2017 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम-7 के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों/जिला परिषदों आदि के राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु तदनुसार प्रस्ताव दिनांक 25.07.2017 तक आमंत्रित किये गये थे, जिसकी अवधि दिनांक 28.07.2017 तक बढ़ाई जाती है।



(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिवगण।

अशा0 टीप क्रमांक: प0 25(2)मं.मं./2017

जयपुर, दिनांक:- 26/7/17

1. प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों (जिला कलेक्टरों सहित) को इस सचिवालय द्वारा जारी अशा0 टीप दिनांक 15.06.2017 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करें। सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव अपने स्तर से तैयार कर प्रेषित किये जाने पर, उक्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर को प्रकाशनार्थ।


(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव